संख्याःएस0ई0-188/दस-2004-ई0एम0-16/2001

प्रेषक,

श्री एस0 आर0 मीना,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
विकासदीप, 22-स्टेशन रोड,
लखनऊ ।

वित्त (सेवायें) अनु0-1 लखनऊ, दिनांक 5 फरवरी 2004

विषयः उ0प्र0राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अंतर्गत बचत निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दरों में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-सामू0बीमा-वि0यो0 लेखा संक0/48/2001/92651/2004, दिनांक 27-1-2004 का संदर्भ लें, जिसमें भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0-7(2)/ई बी/2003, दिनांक 08 जनवरी, 2004 द्वारा 'केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना' हेतु 'बचत निधि' पर दिनांक 01-01-2004 से ब्याज की दर 8 प्रतिशत वार्षिक (संयोजित त्रैमासिक) कर दिये जाने के फलस्वरूप 'उ0प्र0राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा व बचत योजना' के अंतर्गत बचत निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दर को भारत सरकार के अनुरूप संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- उक्त के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'शासनादेश संख्या एस0ई0-1994/दस-2002-ईएम-16/2001, दिनांक 21 अगस्त, 2002 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार 'उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा व बचत योजना के अन्तर्गत 'बचत निधि' में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दर भारत सरकार द्वारा संशोधित दर के अनुरूप दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 8 प्रतिशत वार्षिक (संयोजित त्रैमासिक) किया जाना है ।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-एस0ई0-1904/दस-2002-ईएम-16/2001 दिनांक 21-8-2002 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये ।

4- कृपया तद्नुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(एस0 आर0 मीना)
सचिव ।

---------2/-

संख्या एस0बी0-188(1)/दस-2004, तद्दिनांक

- -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2- निदेशक, कोषागार व लेखा,उ0प्र0, 10 वीं मंजिल ,जवाहर भवन,लखनऊ ।

3- कन्ट्रोलर आफ इश्योरेंस,भारत सरकार,वित्त मंत्रालय(आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली ।

आज्ञा से,

/

(एम0एस0ए0 सिद्दीकी)

अनुसचिव ।